न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष– आशीष श्रीवास्तव,
सदस्य

अपील प्रकरण कमांक 3528–तीन/13 विरूद्ध आदेश दिनाक 10–9–13 पारित द्वारा अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के प्रकरण कमांक 324/बी–121/2012–13

श्रीमती रेखा देवी यादव पत्नी मनोज यादव
सरपंच ग्राम पंचायत खरगूपुरा तहसील पलेरा जिला टीकमगढ़ म0 प्र0
.....अपीलार्थी

विरूद्ध

1 राकेश कुमार पुत्र हरिदयाल यादव
2 मुकेश कुमार पुत्र हरिदयाल यादव
3 हाकिम पुत्र हरिदयाल यादव
4 सुरेन्द्र पुत्र मातादीन यादव
सभी निवासीगण ग्राम काकनपुर तहसील पलेरा
जिला टीकमगढ़ म0 प्र0
5 म0 प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर टीकमगढ़ .....प्रत्यर्थीगण

श्री मुकेश भार्गव अभिभाषक अपीलार्थी
श्री एस0 के0 श्रीवास्तव, अभिभाषक, प्रत्यर्थी कमांक 3 एवं 4
:: आ दे श ::

(आज दिनांक 2.3.16 को पारित)

यह द्वितीय अपील प्रकरण कमांक 3528–तीन/13 राजस्व मण्डल में म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जावेगा) की धारा 44 (2) के अंतर्गत अपर आयुक्त, सागर संभाग सागर के अपील प्रकरण कमांक 324/बी–121/12–13 में पारित आदेश दिनांक 10–9–13 के विरूद्ध संस्थित की गई है ।

2/ प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार से है । ग्राम पंचायत खरगूपुरा की सरपंच (अपीलार्थी श्रीमती रेखा देवी यादव) द्वारा कलेक्टर, टीकमगढ़ को दिनांक 9–11–12 को इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया कि ग्राम काकनपुरा में शांतिधाम निर्माण हेतु भूमि आरक्षित नहीं है, अतः ग्राम काकनपुर में स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 142/20 इस हेतु आरक्षित की जाए । उक्त आवेदन पर कलेक्टर द्वारा प्रकरण कमांक 64/बी–121/12–13 दर्ज कर रिपोर्ट मंगाई गई । कलेक्टर टीकमगढ के आदेश के पालन में तहसीलदार पलेरा ने प्रकरण कमांक 18/बी–121/12–13 दर्ज कर इश्तहार जारी किया गया, और पटवारी से प्रतिवेदन मंगाया । पटवारी प्रतिवेदन दिनांक 7–12–12 के आधार पर तहसीलदार पलेरा ने दिनांक 13–12–12 (गलती से उन्होने दिनांक 13–12–11 डाली है) को अनुविभागीय अधिकारी को प्रतिवेदन भेजा, जिसमें उन्होंने लिखा कि ग्राम में 2 प्रतिशत गोचर की भूमि उपलब्ध है, मुक्तिधाम हेतु सुरक्षित खसरा नंबर 142/20, 3.210 हैक्टेयर की शासकीय (बंजर) भूमि है, वह नाले के किनारे है, उसमें से 0.405 हैक्टेयर पठार, 0.405 नाला और 2.400 ना0का0 काश्त है, जिस पर अतिक्रमण होने से बेदखली की कार्यवाही की जा रही है । यह लिखने के साथ उन्होंने खसरा नंबर 142/20 में 1.000 हैक्टेयर मुक्तिधाम के नाम सुरक्षित किए जाने का प्रस्ताव दिया । इस पर अनुविभागीय अधिकारी, जतारा ने प्रकरण तहसीलदार को भूमि अतिक्रमण से मुक्त कराने के बाद प्रस्ताव भेजने के लिये लौटाया । तदुपरान्त दिनांक 21–1–13 को तहसीलदार पलेरा ने पुनः अनुविभागीय अधिकारी जतारा को प्रकरण यह लिखते हुए भेजा कि खसरा नंबर 142/20 के 1.214 हैक्टेयर (अतिक्रमित) पर खड़ी फसल को जप्त कर ग्राम पंचा के सुपुर्द कर अतिक्रमण हटा लिया गया, पंचनामा बनाया गया, और उक्त भूमि चरोखर हेतु ग्राम पंचायत के सुपुर्द की गई, इसके साथ ही पुनः मुक्तिधाम हेतु भूमि सुरक्षित किए जाने का प्रस्ताव अनुविभागीय अधिकारी को भेज दिया । अनुविभागीय अधिकारी जतारा ने 22–1–13 को प्रकरण कलेक्टर टीकमगढ़ को यह लिखते हुए भेज दिया कि भूमि अतिक्रमण मुक्त कराई गई हैं, ग्राम पंचायत से प्रस्ताव लिया गया है, आम इश्तहार जारी किया गया है जिसमें कोई आपत्ती प्राप्त नहीं हुई, अतः उक्त भूमि खसरा नंबर 142/20 के अंश रकबे 1.000 हैक्टेयर पर मुक्तिधाम बनाया जा सकता है । कलेक्टर द्वारा प्रकरण कमांक 64/बी–121/12–13 में पारित आदेश दिनांक 24–1–13 द्वारा यह भूमि मुक्तिधाम हेतु आरक्षित कर राजस्व अभिलेख में दर्ज करने हेतु तहसीलदार पलेरा को निर्देशित किया । कलेक्टर के आदेश के पालन में राजस्व अभिलेख में अमल हुआ।

3/ कलेक्टर के आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थीगण द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा अपील प्रकरण कमांक 324/बी–121/12–13 में पारित

आदेश दिनांक 10–9–13 द्वारा कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–1–13 निरस्त कर अपील स्वीकार की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में यह द्वितीय अपील अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई है ।

4/ अपर आयुक्त सागर उनके निर्णय के ये आधार लिए गए हैं कि (1) सरपंच द्वारा अपने आवेदन में एवं किसी भी अधिकारी द्वारा इस बात को प्रकाश में नहीं लाया गया कि ग्राम में पूर्व से ही खसरा नंबर 141/8 की 0.405 हैक्टेयर भूमि श्मशान के लिए पूर्व से ही सुरक्षित है, (दो) यदि उक्त भूमि चरोखर के लिए सुरक्षित थी, जैसा कि तहसीलदार ने अपने प्रतिवेदन में लिखा है, तो फिर वह मुक्तिधाम के लिए क्यों प्रस्तावित की गई, और (3) उसी भूमि को नाकाबिल काश्त शासकीय बंजर बताना, और उसी पर फसल बोई जाने से अतिक्रमण हुआ होना बताना, आपसी विरोधाभासी बातें है ।

5/ प्रकरण में उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क सुने गये ।

अपीलार्थी पक्ष के अधिवक्ता ने अपील मेमो के बिन्दुओं को दोहराते हुए यह कहा कि गैर निगराकारगण का वाद भूमि पर केवल बेजा कब्जा रहा है, कोई अधिकार नहीं, और इस बेजा कब्जे को भी हटा दिया गया है । खसरा नंबर 141/8 में भी नाला है, जो कि खसरे में लिखा है जिसकी वजह से उस पर श्मशान का कार्य सही से नहीं हो पाता । साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि खसरा नंबर 142/20 पर अनेक लोगों का बेजा कब्जा है, जिसकी वजह से वैसे भी उसका उपयोग चरोखर हेतु नहीं हो रहा है । अतः उक्त शासकीय भूमि को अतिक्रमण से मुक्त रखा जाए और मुक्तिधाम के सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता के लिए उपलब्ध कराया जाए ।

प्रति अपीलार्थी पक्ष के अधिवक्ता का तर्क था कि खसरा नंबर 141/8 पर विद्यमान श्मशान के बिन्दु को सरपंच द्वारा छुपाया जाना और कलेक्टर के स्तर तक नहीं देखा जाना उपयुक्त नहीं था और वहॉ पहले से श्मशान होने के कारण नए मुक्तिधाम की कोई आवश्यकता नहीं थी । खसरा नंबर 142/20 पर मुक्तिधाम प्रस्तावित करने के पूर्व उस पर से संहिता की धारा 248 के अंतर्गत कार्यवाही कर पहले कब्जा हटाना जरूरी है । इसके साथ ही उन्होंने अपर आयुक्त का आदेश यथावत रखे जाने का अनुरोध किया ।

6/ विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों के प्रकाश में मैने प्रकरण के अभिलेखों का बारीकी से परिशीलन किया । ऐसा करने पर मैं प्रकरण में निम्न बिन्दु प्रमुखता से टीप/विचार योग्य पाता हूँ:–

(क) सरपंच द्वारा ग्राम के खसरा नंबर 141/8 पर मरघट हेतु भूमि आरक्षित होने का लेख अपने आवेदन में नहीं किया गया था, ना ही कलेक्टर के स्तर तक के अधिकारियों ने इस तथ्य पर

ध्यान दिया, जबकि प्रकरण में अवस्थित खसरा पांचसाला पी–2 की वर्ष 2011–12 की प्रविष्टि में खसरा नंबर 141/8 में 0.405 मरघट एवं 0.248 नाला होने का लेख है । अतः, इस तारतम्य में दुर्भावना या लापरवाही की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता ।

(ख) खसरा नंबर 142/20 पर प्रतिअपीलार्थी मुकेश का बेजा कब्जा वर्ष 2012–13 के पी 23 (इन्क्रोचमेंट रजिस्टर) में दर्ज है । वर्ष 83–84 से 87–88 के खसरा नंबर 142 के पी–2 खसरा पांचसाला फार्म में भी प्रतिअपीलार्थी पक्ष से संबंधित नामों में से राकेश पिता हरदयाल और मातादीन के नाम पाए जाते हैं । इससे यह प्रतीत होता है कि प्रतिअपीलार्थीगण एवं अनेक अन्य व्यक्तियों के कब्जे खसरा नंबर 142 या 142/20 के विभिन्न अंशों पर लंबे समय से समय–समय पर या निरन्तर होते रहे हैं । यह भी संभव है कि जैसे वर्तमान प्रकरण में तहसीलदार ने फसल ग्राम पंचायत के सुपुर्द कर उक्त भूमि से कब्जा हटवाया, वैसा पूर्व में भी हुआ हो ।

(ग) अपर आयुक्त का यह लिखना कि यदि उक्त भूमि चरोखर के लिए सुरक्षित थी तो वह मुक्तिधाम के लिये क्यों प्रस्तावित की गई विचार योग्य है । पटवारी एवं तहसीलदार के प्रतिवेदनों में यह लेख है कि ग्राम में खाते का कुल रकबा 232.299 हैक्टेयर है, गोचर हेतु 5.381 हैक्टेयर है, और खाते की भूमि का 2 प्रतिशत गोचर हेतु उपलब्ध है । (232.299 हैक्टेयर का 2 प्रतिशत 4.646 हैक्टेयर होता है ।) उनके प्रतिवेदनों से यह स्पष्ट नहीं होता है कि पूर्व से विद्यमान 5.381 हैक्टेयर गोचर की भूमि में खसरा नंबर 142/20 का पूर्ण या अंश रकबा शामिल है या नहीं, और 142/20 में से 1.000 हैक्टेयर मुक्तिधाम हेतु यदि दी जाए, तो उसके बाद गॉव में गोचर की कितनी भूमि शेष बचेगी, या इस कार्यवाही से गोचर की 5.381 हैक्टेयर में से कुछ भी भूमि कम नहीं होगी । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अग्रेषण, एवं कलेक्टर द्वारा आदेश भी इस बिन्दु पर स्पष्टता लाए बगैर कर दिया गया है, जो कि उचित नहीं है ।

(घ) अपर आयुक्त द्वारा उनके आदेश में यह लिखा गया है कि खसरा नंबर 142/20 की भूमि एक ओर नाकाबिल काश्त होनी लिखा जाना और दूसरी ओर उस पर फसल बोई गई होनी लिखा जाना, विरोधाभासी है । मेरे मत में इसका अर्थ केवल यह निकाला जा सकता है कि प्रतिअपीलार्थियों समेत विभिन्न व्यक्तियों ने उक्त भूमि को अतिक्रमण कर आवश्यकतानुसार काबिल काश्त बनाया होगा और फसल बोई होगी, जिसे तहसीलदार ने ग्राम पंचायत को सुपुर्द कर अतिक्रमण हटाने का प्रतिवेदन दिया । अतः, इस बिन्दु पर स्पष्टता का कोई विशेष अभाव प्रतीत नहीं होता ।

(ङ) अपर आयुक्त ने अपने आक्षेपित आदेश में इस बिन्दु पर समुचित विचार एवं विवेचना कर कारणों सहित अपना निष्कर्ष नहीं निकाला है कि यदि सरपंच ने मुक्तिधाम हेतु भूमि के लिये

विषयांकित आवेदन किया था, तो क्या ग्रामीणों के सार्वजनिक प्रयोजन के लिए, खसरा नंबर 141/8 की 0.405 हैक्टेयर मरघट हेतु आरक्षित होने के बावजूद, खसरा नंबर 142/20 में से1.000 हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता थी या नहीं । उनका आदेश इस संबंध में मूक है । इस न्यायालय के समक्ष, खसरा नंबर 141/8 में मरघट हेतु भूमि आरक्षित होने के बावजूद, खसरा नंबर 142/20 में से उक्त भूमि हेतु मांग अपीलार्थी द्वारा यह कहते हुए की गई है कि खसरा नंबर 141/8 की भूमि में से नाला गुजरता है, जिस वजह से वह अनुपयुक्त एवं अपर्याप्त है । प्रति अपीलार्थी पक्ष द्वारा इस बात का विरोध किया गया है । इस संबंध में स्पष्टता क्षेत्र की स्थिति के निरीक्षण के आधार पर ही आ सकती है ।

7/ उपरोक्त पैरा 6 के बिन्दु (क) से (ग) के प्रकाश में मैं अपर आयुक्त द्वारा कलेक्टर के आदेश दिनांक 24–1–13 के निर्णय को अपास्त करने हेतु पारित किया गया आक्षेपित आदेश दिनांक 10–9–13 स्थिर रखे जाने योग्य पाता हूँ । अतः उसे यथावत रखते हुए यह अपील अस्वीकार करने का निर्णय लेता हूँ ।

साथ ही अनुविभागीय अधिकारी जैतपुरा एवं तहसीलदार पलेरा को यह निर्देश देता हूँ कि (एक) वे शासकीय भूमि से समस्त अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही विधिवत करते हुए उसे स्थाई रूप से सुरक्षित करें, और (दो) ग्राम में चरनोई एवं अन्य सार्वजनिक प्रयोजनों हेतु विधिक एवं स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार भूमि सुरक्षित करें । इसके अतिरिक्त, यदि ग्राम पंचायत को मुक्तिधाम से जुड़े सार्वजनिक हित हेतु खसरा नंबर 141/8 की 0.405 पूर्व से आरक्षित भूमि के अतिरिक्त या उसके एवज में अन्य भूमि की आवश्यकता हो, तो इसके लिये समुचित कारण एवं आधार दर्शाते हुए, ग्राम पंचायत नए सिरे से प्रस्ताव पारित कर आगे की कार्यवाही हेतु विधिवत अनुरोध कर सकती है ।

आदेश पारित ।
पक्षकारगण, अनुविभागीय अधिकारी जैतपुरा और तहसीलदार पलेरा सूचित हो ।
अभिलेख वापस हों ।
प्रकरण समाप्त ।
दा0द0 हो ।

2.3.16

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश
ग्वालियर